Tender file

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)

# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल, अनूपशहर रोड, बुलन्दशहर

पत्रांकः नि0अनु0 / निविदा / 2011– 85 दिनांक 21 –04–2011

## ::अल्पकालीन निविदा सूचना::

मण्डी परिषद, निर्माण खण्ड बुलन्दशहर के क्षेत्रान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु निविदायें दिनांक 10.05.11 को मण्डी परिषद में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ ठेकेदारों से अपरान्ह 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमन्त्रित की जाती हैं जो उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा उनके द्वारा नामित उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय / सं0उपनिदेशक (प्रशा0 / विप0) मण्डी परिषद मेरठ कार्यालय / भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा बुलन्दशहर से किसी भी कार्य दिवस में निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 निविदा मूल्य के साथ निर्धारित नोटेरी शपथ पत्र (टी–6), जिलाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं मण्डी परिषद् द्वारा निर्धारित नोटेरी शपथ–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती हैं। मण्डी समिति शिकारपुर के अर्न्तगत (1) सं0मार्ग पहासू खुर्जा मार्ग (दीघी) से अटेरना तक निर्माण लागत रू. 34.00 लाख (2) सं0मार्ग खेलिया रिवाड़ा मार्ग से कल्यानपुर तक निर्माण लागत रूपया 24.25 लाख, निविदा मूल्य क्रमांक–01 व 02 रू. 1000/– प्रतिनिविदा, उपरोक्त निविदा मूल्य पर 13.50% वाणिज्य कर राउन्ड फिगर में अलग से देय होगा, वांछित पंजीकरण श्रेणी क्रमांक–'01 "स" श्रेणी एवं क्रमांक–02 "द" श्रेणी, कार्य पूर्ण करने की अवधि क्रमांक–01 व 02 चार–चार माह, धरोहर धनराशि कार्य लागत का 10% एवं निविदा की वैधता तीन माह होगी।

नोटः–

(1) मण्डी परिषद में अ0जा0 / अ0जन0जा0 के पंजीकृत ठेकेदारों से उपरोक्त निर्माण कार्यो के टेन्डर फार्म विक्रय के समय जमानत धनराशि 2% (दो प्रतिशत) देय होगी, अवशेष 8% (आठ प्रतिशत) जमानत धनराशि ठेकेदारों के देयकों से काटी जायेगी, क्रमांक–2 पर अंकित कार्य अ0जा0 / अ0जन0जा0 के पंजीकृत ठेकेदार रू. 25.00 लाख तक निविदा हेतु शासनादेश के अनुरूप आरक्षित की जाती है। (2) नियम एवं शर्तें तथा विवरण इस कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में तथा मण्डी परिषद की वैवसाइट **www.upmandiparishad.in** पर देखी जा सकती हैं।

उपनिदेशक(निर्माण)

नियम एवं शर्तें :–

1– निविदा प्रपत्र डाक द्वारा रू0 100.00 अतिरिक्त डाक व्यय देने पर भेजे जा सकते हैं लेकिन डाक द्वारा निविदा समय से प्राप्त न होने की जिम्मेदारी कार्यालय की न होगी।

2– निविदा प्रपत्र निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक विक्रय किये जायेंगे।

3– परिषद के सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती हैं।

4– कार्य की मदें या मात्राऐं निविदा स्वीकृति के पूर्व या बाद में घटाने/बढाने का पूर्ण अधिकारी सक्षम अधिकारी को होगा।

5– निविदा केवल मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों को ही निर्गत की जायेंगी।

6– अनुबन्ध करते समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित धनराशि के स्टैम्प पेपर स्टैम्प डयूटी के रूप में देनें होंगे।

7– वाणिज्य कर विभाग के अध्यादेश के अनुसार टैक्स की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जायेगी।

8– श्रम विभाग के शासनादेश सं0–383/36–2–2010 दिनांक 26 फरवरी, 2010 एवं परिषद मुख्यालय के पत्रांकःमु0अभि0/ (5044) /2010–422 दिनांक 01.05.10 के क्रम में अनुबन्ध गठन के 60 दिन के अन्दर या प्रथम चालू देयक् से पूर्व जो भी पहले हो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा सैस की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

9– निविदा के साथ रू0 100.00 का स्टैम्प पेपर रू0 एक की रसीदी टिकट लगा हुआ देना होगा। निविदा की वैधता तीन माह होगी।

10– सशर्त कोई निविदा मान्य न होगी।

11– आईटम वाईज दरें मान्य न होंगी, निविदा दाताओं द्वारा कार्य की कुल लागत पर प्रतिशत दरें ही निविदा में दी जायेंगी।

12– यदि किसी ठेकेदार द्वारा एक ही कार्य की एक से अधिक निविदा डाली जायेंगी तो उसकी किसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

13– ठेकेदार निविदा लेने से पूर्व निर्माण स्थल का निरीक्षण कर लें।

14– निविदा क्रय करते समय क्रय करने वाले व्यक्ति को फर्म की मूल पार्टनरशिपडीड प्रस्तुत करनी होगी तथा निविदा क्रय करने वाले व्यक्ति को पार्टनर होना भी अनिवार्य होगा। क्रेता के हस्ताक्षर पार्टनरशिपडीड से मिलाने के उपरान्त ही निविदा देय होगी अधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति को निविदा नहीं बेची जायेगी। यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास पंजीकरण है तो निविदा उसी व्यक्ति को दी जायेगी अन्य को नहीं। व्यक्ति विशेष परिषद के जिस खण्ड में पंजीकृत है वहां के उपनिदेशक (निर्माण) से हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर एवं उस खण्ड की पंजीकरण की मूलप्रति प्रस्तुत करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।

15– निविदा उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेंगी जो नए पंजीकरण/नवीनीकरण नियमावली एवं समय–समय पर जारी किये गये पंजीकरण/नवीनीकरण के निर्देशानुसार पात्र होंगे।

16– निविदा दाताओं को सम्बन्धित कार्य स्वंय ही करना होगा भिन्नता की स्थिति में सम्बन्धित कार्य की निविदा/अनुबन्ध अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

17– कार्य का अन्तिम भुगतान, कार्य मण्डी समिति को हस्तान्तरित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

18– धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में निविदा मूल्य क्रय करते

19– निविदा में दी जाने वाली दरें दशमलव के दो अंकों तक ही मान्य होंगी तथा निविदा में दी जाने वाली दरें अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी अंकित करनी अनिवार्य होंगी।

20– भविष्य में अनुबन्ध निस्तारण के उपरान्त यदि उक्त कार्यों पर कोई कटौती निकलती है तो उक्त कटौती की वसूली ठेकेदार/फर्म से कर ली जायेगी।

21– निविदा क्रय करते समय निविदा दाता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मण्डी परिषद में कराये जा रहे कार्यों के अनुबन्धों का विवरण अंकित करना होगा एवं पूर्व में आवंटित कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित क्षमता के अन्तर्गत निविदा क्रय करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

22– परिषद् मुख्यालय अथवा शासन आदि द्वारा यदि कार्य निर्धारित समय अवधि से पूर्व पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं तो उक्त कार्य परिषद मुख्यालय अथवा शासन आदि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपनिदेशक (निर्माण)

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
नवीन मण्डी स्थल, अनूपशहर रोड, बुलन्दशहर

पत्रांक : नि0अनु0/निविदा/2011– 85 दिनांक 21 –04–11

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1– निजी सचिव निदेशक को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2– अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद, लखनऊ।
3– मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता मण्डी परिषद, लखनऊ।
4– उपनिदेशक (प्र0/वि0)/लेखाधिकारी मण्डी परिषद, मेरठ।
5– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
6– सिस्टम मैनेजर मण्डी परिषद, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त निविदा सूचना को तत्काल परिषद की वैवसाइट पर डलवाने का कष्ट करें (पंजीकृत/स्पीड पोस्ट)
7– सचिव/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शिकारपुर जनपद–बुलन्दशहर।
8– समस्त उपनिदेशक (निर्माण) मडी परिषद, उ0प्र0।
9– सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/संगणक मण्डी परिषद बुलन्दशहर।
10– समस्त सम्बन्धित पंजीकृत ठेकेदार निर्माण खण्ड बुलन्दशहर।
11– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

उपनिदेशक (निर्माण)